[4/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 952] तारांकित प्रश्न क्र 952 परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल दिनांक 03 /04/2018

क्रमांक एफ-10-47/2015/18-2:: राज्य शासन एतदद्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास- (शहरी) के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि-

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास- (शहरी) को निरंतर वर्ष 2022 तक रखा जावे।

1. निर्धारित किये गये लक्ष्य अनुसार दिसम्बर- 2018 तक 5 लाख आवासीय इकाई नगरीय निकाय अथवा प्रदेश की अन्य पैरास्टेटल एजेंसियों के माध्यम से निर्माण किया जावे। इस हेतु तैयार किये गए रोडमैप अनुसार विभाग को बजट में आवश्यक राशि निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1.1 दिसम्बर 2018 तक 5.00 लाख EWS आवासों हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 7534.74 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 5460.59 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 12995.33 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.2 5.00 लाख EWS आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 6,272.93 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 4,457.29 करोड़ सम्मिलित करते हुए शेष राशि रु. 10,730.23 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.3 मार्च 2019 तक 1.00 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 1500.00 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1150.00 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 2650.00 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.50 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 2278.59 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1745.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 4024.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.5 वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.50 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 2278.59 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1745.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 4024.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.00 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केन्द्रांश की राशि रु. 1528.59 करोड़ में राज्यांश राशि रु. 1170.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रु. 2699.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

उपरोक्त व्यय के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटकवार आवासीय इकाइयों का आवश्यकतानुसार राज्यांश की निर्धारित सीमा में घटकों में परिवर्तन किया जा सकेगा।

अनुभाग अधिकारी

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

2. योजना के घटक-4 लाभार्थी आधारित स्व निर्माण (BLC) अंतर्गत हितग्राही को राज्यांश कि प्रथम किश्त भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) से परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत होने के उपरांत दे दिया जाये ताकि हितग्राही आवास का निर्माण प्रारंभ कर सके तदोपरांत भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त होने पर हितग्राही को शेष राशि की स्वीकृति दी जाती है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना की दिशानिर्देशिका कि कंडिका क्र. 14.7 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को परियोजनाओं कि वास्तविक प्रगति के आधार पर निधियां जारी करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. एस.ई.सी.सी. डाटा वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2011 के बाद भी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी गरीब निवास करने लगे हैं। अतः ऐसी स्थिति में एस.ई.सी.सी. डाटा से हितग्राही का मिलान किया जाये परन्तु यदि किसी हितग्राही का एस.ई.सी.सी. डाटा में उल्लेख नही मिलता है और भौतिक रूप से वह स्थल पर पाया जाता है तथा योजना अनुसार अन्य मापदण्ड पूर्ण करता है तो उसे योजनान्तर्गत अपात्र घोषित न किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

ऐसे हितग्राही जो संबंधित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत हैं एवं नगरीय निकाय को नियमित सम्पत्तिकर/समेकित कर का भुगतान कर रहे हैं किन्तु उनके पास भूमि स्वामित्व सम्बंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे है उस स्थिति में सभी हितग्राहियों को भी योजना के बी.एल.सी. घटक हेतु पात्र किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

ऐसे हितग्राही जिनके पास विक्रय पत्र/दानपत्र का नोटरी दस्तावेज उपलब्ध है तथा विगत 5 वर्षो से उस स्थल पर निवासरत हैं व भूमि स्वामित्व संबंधी कोई विवाद नही है वे हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022 तक के लिए प्रावधानित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (SLTC) एवं शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (CLTC) के गठन हेतु लगाई गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीएमसी) में सामग्री क्रय हेतु राशि रु. 7.50 करोड़ एवं बड़े हुए अतिरिक्त पारिश्रमिक हेतु राशि रु. 37.7208 करोड़ का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है जो राज्य बजट (हाउसिंग फॉर ऑल) से राशि रू. 9.04416 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा आवश्यकतानुसार कुल पांच वर्ष में राशि रू. 45.2208 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-1 स्व स्थाने स्लम पुर्नविकास (ISSR) एवं घटक-3 भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के हितग्राहियों से हितग्राही अंश की पूर्ति किये जाने के दिशानिर्देश एवं त्रिपक्षीय अनुबंध का अनुमोदन किया जाता है।

7. प्रदेश के ऐसे हितग्राही जिनका पंजीयन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लाभ प्राप्त करने के दिनांक के पूर्व तक का है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत राशि रू. 1.00 लाख अतिरिक्त् अनुदान संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।

8. राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश का अनुपात कम किये जाने से राशि रु. 83.98 करोड़ कम प्राप्त होगी उक्त राशि का व्यय राज्य सरकार के बजट हाउसिंग फॉर ऑल से किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार कार्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

03/04/18
(भरत यादव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. क्रमांक एफ-10-45/2015/18-2 भोपाल दिनांक 03/04/2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयटम क्रमांक 8 में दिये गये निर्देश में आवश्यक बजट उपलब्ध कराने हेतु।
2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयटम क्रमांक 8 के बिन्दु क्रमांक 7 में दिये गये निर्देश में प्रशासकीय विभाग से आदेश जारी कराने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयटम क्रमांक 8 के संदर्भ में।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, (राजस्व) एवं समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03/04/18
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल